संख्या- **555**/90-सं0शि0प0का0/17-2(सं0शि0)/15

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग लखनउ: दिनांक 18 अक्टूबर, 2017

विषय:- मा0 संसद सदस्यों/ राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/ अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 संसद सदस्यों/ राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/ अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के सम्बन्ध में जारी किये गये पार्श्वांकित शासनादेशों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत विषय में निरन्तर दिशा- निर्देश जारी होने के बावजूद शासन के संज्ञान में यह आया है कि मा0 संसद सदस्यों/ राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति सामान्य शिष्टाचार/ अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य-प्रदर्शन का पालन समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है और यथोचित शिष्टाचार/प्रोटोकाल का पालन न किये जाने की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं।

1- सं0-2586/79-सं-1-2007-66सं/1988, दि0 14 नवम्बर, 2007
2- सं0-275/79-सं-1-2008-10सं/2008, दि0 06 फरवरी, 2008
3- सं0-1483/79-सं-1-2008-66सं/1988 दि0 30 मई, 2008
4- सं0-2383/79-सं-1-2008-109सं/2008 दि0 21 अक्टूबर, 2008
5- सं0-285/79-सं-1-2009-24सं/2009, दि0 31 मार्च, 2009
6- सं0-762/79-सं-1-2009-66-सं/1988, दि0 28 मई, 2009
7- सं0-643 /79-सं-1-2009-28सं/2009, दि0 18 जून, 2009
8- सं0-545/90-सं-1-2011-38सं/2011, दि0 11 मई, 2011
9- सं0-602/90-सं-1-2011-43सं/2011, दि0 25 मई, 2011
10- सं0-1147/90-सं-1-2012-66सं/1988, दि0 12 अक्टूबर,2012
11- सं0-608/90-सं-1-2013-66सं/1988, दि0 10 मई, 2013
12- सं0-1223/90-सं-1-2013-14सं/2013 दि0 25 सितम्बर,2013
13- सं0-1541/90-सं-1-2013-66सं/2008, दि0 31 दिसम्बर, 2013
14- सं0-1173/90-सं-1-2014-70सं/84 दि0 25 अगस्त, 2014
15- सं0-214/90-सं0शि0प0का/2015-02सं0शि0/2015,दि0 15 सितम्बर, 2015
16- सं0-831/90-सं0शि0प0का/2016-02सं0शि0/2015,दि028 अक्टूबर, 2016
17- सं0-478/90-सं0शि0प0का/2017-02सं0शि0/2015,दि0 19 सितम्बर, 2017

2- इस सम्बन्ध में विशेष रूप से भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के अर्धशा0 पत्र संख्या-11013/4/2011-स्था (क)दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 सपठित सम संख्यक कार्यालय ज्ञाप संख्या- दिनांक 01 दिसम्बर, 2011, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसमें प्रशासन तथा सांसद एवं राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के बीच सरकारी कार्य-व्यवहार में समुचित आचरण का अनुपालन करने हेतु विस्तृत दिशा- निर्देश उल्लिखित हैं। सूच्य है कि उक्त

अर्द्धशा0 पत्र मुख्य सचिव के पत्र संख्या-665/90सं-1-212-70सं/1984 दिनांक 25 जून, 2012 के द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है।

(3) सामान्य प्रशासन अनुभाग के शासनादेश संख्या-796/तीन-2013-72(1)/91 दिनांक 17 जुलाई, 2013 द्वारा निर्गत संशोधित सहायक पूर्वताधिपत्र (सब्सिडियरी वारण्ट ऑफ प्रिसीडेंस) के अनुसार मा0 सांसदों व मा0 विधायकों को कोटिक्रम 22 तथा 22-अ में रखा गया है तथा राज्य के मुख्य सचिव, अध्यक्ष, राजस्व परिषद, एडवोकेट जनरल, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, राजस्व परिषद, अध्यक्ष, लोक सेवा अधिकरण, विश्वविद्यालय के कुलपति, आयुक्त, सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सचिव, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी आदि समस्त अधिकारी मा0 विधायकों से कोटिक्रम में नीचे हैं।

(4) सभी सरकारी अधिकारियों से पुन: यह अपेक्षित है कि उनके द्वारा जनप्रतिनिधियों के पत्रों की प्राप्ति-स्वीकार (Acknowledge) की जाय और शीघ्रतापूर्वक सम्यक विचारोपरान्त उन्हें कृत कार्यवाही से अवगत करा दिया जाय। अधिकारी मा0 जनप्रतिनिधि के फोन आने पर कॉल रिसीव (Receive) करेंगें । साथ ही बैठक में होने/ अनुपलब्ध होने पर कॉल की जानकारी होने के उपरान्त प्राथमिकता पर जनप्रतिनिधि को कॉल बैक करेंगें। यदि सांसद/ राज्य विधान मण्डल के माननीय सदस्यगण, जनप्रतिनिधि के रूप में जनहित से जुड़े कार्यों के सम्बन्ध में उनसे भेंट करते हैं तो उन्हें यथोचित सम्मान दें, अपनी सीट से खड़े होकर उनका स्वागत करें तथा उनसे यथास्थिति जलपान/ जल ग्रहण हेतु आग्रह करेंगे। उनसे वार्ता करते समय अधिकारी यदि उनके अनुरोध या सुझाव को स्वीकार करने में असमर्थ हों, तो अधिकारी द्वारा अनुरोध को स्वीकार न किये जाने के कारणों से मा0 सदस्य को विनम्रतापूर्वक अवगत करा देना चाहिए। अधिकारियों से यह भी अपेक्षित होगा कि वह राज्य विधान मण्डल के माननीय सदस्यों को खड़े होकर सम्मानपूर्वक **विदा** करेगें।

(5) सार्वजनिक कार्यक्रमों के निमंत्रण/ आमंत्रण पत्र में पूर्वाताधिपत्र (सब्सिडियरी वारण्ट ऑफ प्रिसीडेंस) के कोटिक्रम का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। अधिकारियों द्वारा शिलान्यास एवं उद्घाटन न किये जाने के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-13/21/93-का-1-2001 दिनांक 20 नवम्बर, 2001 में स्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये हैं कि शासन द्वारा कार्यो के लिए स्वीकृत धनराशि के लिए किए जा रहे कार्यों का कोई भी उद्घाटन अथवा शिलान्यास समारोह अथवा विकास कार्यो के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण की धनराशि का वितरण समारोह अथवा सहायता शिविरों में सामग्री का वितरण न किये जाने अथवा ऐसे अन्य समारोहों में अधिकारीगण मुख्य अतिथि की हैसियत से भाग नहीं लेंगे। इस शासनादेश द्वारा पुन: निर्देशित किया जा रहा है कि कार्मिक विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 20 नवम्बर, 2001 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

उपर्युक्त निर्देश इस आशय से पुन: प्रसारित किए जा रहे हैं कि जनप्रतिनिधि, जो कि सब्सिडियरी वारण्ट ऑफ प्रिसीडेंस में एक निर्धारित प्रास्थिति रखते हैं, उनके साथ उपयुक्त शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य-प्रदर्शन शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय, शिष्टाचार सम्बन्धी शासन के निर्देशों का उल्लंघन उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम-3 (2) की परिधि में आता है, जो इस प्रकार है:-

" नियम-3 सामान्य के प्रस्तर (2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सभी समयों पर, व्यवहार तथा आचरण को विनियमित करने वाले प्रवृत विशिष्ट या अन्तर्निहित शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करेगा। "

अत: शिष्टाचार उल्लंघन के मामलों में नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता पर इन आदेशों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के संज्ञान मे लाने तथा तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करें।

भवदीय,
राजीव कुमार
मुख्य सचिव।

--/3

संख्या-**555(1)**/90-सं0शि0प0का0/17-2 (सं0शि0)/15तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
5- निजी सचिव, मा0 संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।